

अल्पकालीन फसली ऋण आवेदन-पत्र

(समिति/ई-मित्र पर जाकर फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन कराने के पश्चात् यह फार्म समिति में जमा करावें)

1. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा
2. कृषक सदस्य का नाम:..... पिता का नाम:.....
3. सदस्यता क्रमांक..... दिनांक:.....
4. बीमा क्लेम हेतु नोमिनी का नाम :..... कृषक से संबंध.....
5. ग्राम तहसील विधानसभा क्षेत्र
6. आर्थिक समूह: (एपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय)
7. वर्ग:- (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्प-संख्यक)
8. मोबाईल नंबर:
9. आधार नंबर:
10. भामाशाह नंबर:
11. पैन कार्ड नंबर (यदि हो):
12. सहकारी बैंक बचत खाता नंबर: IFSC No.....
13. भूमि का विवरण (जमाबंदी की प्रति पंजीयन के समय उपलब्ध करावें):

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि	सिंचित भूमि में आवेदक का हिस्सा	असिंचित भूमि में आवेदक का हिस्सा
1								
2								
3								
4								

14. बोई जाने वाली फसल का विवरण:-

क्र. सं.	भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सिंचित / असिंचित	बोई जाने वाली फसल का नाम	खरीफ / रबी

15. समिति एवं अन्य बैंकों से लिये गये फसली ऋण / केसीसी ऋण का विवरण:-

क्र. सं.	समिति / बैंक / संस्था का नाम	स्वीकृत ऋण राशि	वर्तमान में बकाया ऋण राशि	
			अनावधिपार राशि	अवधिपार राशि
1				
2				
3				
4				

16. मैं समिति/बैंक में लागू राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं अन्य अनिवार्य बीमा योजनाओं में सम्मिलित होने की सहमति देता हूँ एवं नियमानुसार मेरे ऋण खाते को नामे करते हुए बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम राशि भिजवाने हेतु संबंधित समिति/बैंक को अधिकृत करता हूँ।
17. मैं समिति/बैंक को निर्धारित हिस्सा राशि चुकाने के लिये सहमत हूँ और यदि मेरे द्वारा ऋण वितरण से पूर्व हिस्सा राशि नहीं चुकाई जाती है तो समिति/बैंक को मेरे पक्ष में स्वीकृत ऋण राशि में से निर्धारित आवश्यक हिस्सा राशि कटौती कर समायोजित करने के लिये अधिकृत करता हूँ।
18. मेरे परिवार (पति/पत्नी एवं आश्रित बालिग बच्चे) में से एक ही के द्वारा फसली ऋण समिति से प्राप्त किया जा रहा है।
19. मैं, मेरे स्वयं के हिस्से की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होना प्रमाणित करता हूँ।

प्रमाणन

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनायें सत्य एवं प्रमाणित हैं। सूचनायें असत्य पाये जाने पर समिति/बैंक मेरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होंगे। मैं उक्त वर्णित भूमि बेचान किये जाने से पूर्व समिति से ऋण चुकारा कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करूंगा/करुंगी।

प्रार्थी का नाम:

हस्ताक्षर

वचन-पत्र

में पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति
 निवासी तहसील जिला
 ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., अथवा उनकी आज्ञानुसार प्रति वर्ष खरीफ
 फसल (अप्रैल से अगस्त) के दौरान समय-समय पर रुपये का अधिकतम सीमा अन्तर्गत
 प्राप्त फसली ऋण राशि को 31 मार्च तक या उसके पूर्व तथा रबी फसल (माह सितम्बर से मार्च) के दौरान
 समय-समय पर रुपये का अधिकतम सीमा अन्तर्गत प्राप्त फसली ऋण राशि को 30 जून तक
 नियमानुसार ब्याज दर से चुकाने का वचन देता/देती हूँ।

मैं यह भी लिख देता/देती हूँ कि निर्धारित अवधि में रकम नहीं चुकाने का दोषी होने पर निर्धारित
 दण्डनीय ब्याज अतिरिक्त चुकाऊँगा/चुकाऊँगी। आगामी पांच सालों में खरीफ फसल या रबी फसल के
 लिये समिति से प्राप्त किये जाने वाले ऋणों के लिये यही वचन पत्र लगातार प्रभावी जमानत के तौर पर
 रहेगा।

स्थान:..... दिनांक

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी सदस्य

ऋण-पत्र (बॉण्ड पत्र)

मैं इस ऋण पत्र (बॉण्ड पत्र) के द्वारा लिख देता/देती हूँ कि उक्त ग्राम सेवा सहकारी समिति ने
 मेरी उधार की अधिकतम ऋण सीमा रुपये अक्षरे रुपये
 स्वीकृत की है, को जैसे-जैसे रकम की आवश्यकता होगी नगद या माल के रूप में सहकारी बैंक द्वारा
 जारी चैक/रुपे कार्ड/डेबिट कार्ड द्वारा समय-समय पर लेता रहूँगा/रहूँगी। उक्त ऋण की रकम निम्न
 शर्तों के अनुसार देय तिथि तक निर्धारित ब्याज दर से ब्याज सहित चुकाना स्वीकार करता/करती हूँ,
 निर्धारित अवधि में रकम नहीं चुकाने का दोषी होने पर निर्धारित प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज चुकाना
 मुझे स्वीकार है।

इस ऋण पत्र में लिखी हुई उधार की कुल रकम का मैंने एक वचन पत्र लिख दिया है। समिति के
 लिये हुये इस ऋण का भार मेरी स्वयं की रहन की किराये पर ली हुई तथा भागीदारी की जमीन से उत्पन्न
 सब प्रकार की पैदावार पर ऋण की कुल रकम जमा होने तक रहेगा और मैं पैदावार समिति द्वारा आदेशित
 स्थान पर तथा समिति या आड़तिया के माध्यम से बेचने के लिये पाबन्द रहूँगा/रहूँगी।

मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि इस संबंध में समिति के वर्तमान या समय-समय पर आगे
 बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार अमल करूँगा/करूँगी व सब प्रकार से बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

यदि मैं समिति की प्रबन्धकारिणी की राय में किसी समय भी ऊपर लिखी हुई किसी भी शर्त का
 पालन नहीं करता/करती हूँ तो इस ऋण पत्र के अधीन ली हुई रकम या बाकी रही रकम ब्याज सहित
 समय अवधि से पूर्व किसी भी समय वसूल करने का समिति को पूरा अधिकार होगा।

मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि ऊपर लिखी शर्त में कुछ भी लिखा होने के उपरान्त भी
 प्रबन्धकारिणी समिति की राय में कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो तो उस समय मेरी ओर वकाया
 ऋण का वसूल करने के लिये स्वयं की, भागीदारी की तथा किराये की जमीन की पैदावार को कब्जे में लेने
 का प्रबन्धकारिणी समिति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सम्पूर्ण अधिकार होगा और जब कब्जा लिया
 जावेगा तो मैं एवं मेरे वारिसान उसमें कोई अड़चन नहीं डालेंगे।

दिनांक:-

ऋण लेने वाले का हस्ताक्षर

(गवाह)

1. हस्ताक्षर
 नाम गवाह
 पुत्र श्री
 निवासी

2. हस्ताक्षर
 नाम गवाह
 पुत्र श्री
 निवासी

प्रतिभूति-पत्र

दिनांक:-

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री व्यक्तिगत रूप से उपर्युक्त मेरे द्वारा ऋण पत्र के अनुसार समिति द्वारा उधार दी गई रकम यदि उपर्युक्त अवधि या आवश्यकतानुसार समय-समय पर बढ़ाई अवधि के भीतर (जिसके लिये मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी और जिसके लिये मैं केवल समिति के निर्णय से बाध्य रहूँगा/रहूँगी)। मेरी तरफ बकाया असल रकम और उस पर चढ़े हुए ब्याज की जिम्मेदारी स्वीकार करता/करती हूँ कि उपर्युक्त ऋण की सम्पूर्ण रकम निश्चित अवधि के भीतर अदा कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर

(सदस्य ऋणी)

पता :

.....

.....

प्रमाणित

अध्यक्ष / व्यवस्थापक

..... ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,

पंचायत समिति